

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या 01 / ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0/2017-18

दिनांक 03 मार्च, 2018

कार्यालय ज्ञाप

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड भोपालपानी, देहरादून के ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र (मैदानी क्षेत्र के 5.00 है० से 50.00 है० तक क्षेत्रफल के खनन लॉट राष्ट्रीय स्तर हेतु) संख्या 008 Haridwar_Daulatpur Hajratpur Urf Budhwasheed_Bhagvanpur_25.585 ha/भूखनि0ई0/ई0निवि0सहई0नीला0/2017-18, दिनांक 30 जनवरी, 2018 के द्वारा जनपद हरिद्वार की तहसील भगवानपुर के ग्राम दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद में मैदानी क्षेत्रान्तर्गत रिक्त राजस्व उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज (आर०बी०एम०) को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु विज्ञापित प्रकाशित की गयी थी।

2- उक्त उपखनिज क्षेत्र हेतु ई-निविदा तकनीकी बोली दिनांक 13.02.2018 को खोली गयी, जिसका परिणाम कार्यालय ज्ञाप सं० 1948/भूखनि0ई0/ई0निवि0सहई0नीला0/2017-18, दिनांक 17 फरवरी, 2018 के द्वारा घोषित किया गया। उक्त लॉट हेतु अधिकतम मात्रा 562870 टन एवं न्यूनतम निर्धारित मात्रा 281435 टन है।

3- जनपद हरिद्वार की तहसील भगवानपुर के ग्राम दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवासहिद कुल क्षेत्रफल 25.585 है० उपखनिज क्षेत्र के ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन हेतु प्रथम चरण (ई-निविदा) का परिणाम कार्यालय के आदेश संख्या 1975/ई0निवि0सहई0नीला0/परिणाम/प्र०च०/नैनी/भूखनि0ई0/2017-18 दिनांक 20 फरवरी, 2018 के द्वारा जारी किया गया था जिसमें निम्नलिखित निविदाकारों को सफल घोषित किया गया:-

तालिका - 1

क्र०सं०	आवेदक का नाम/निवासी	यूनिक आई/बिडर आई०डी०	आवेदक की वित्तीय बोली
1.	श्री विजय सिंह, वार्ड नम्बर-2, हाट मर्ज श्यामपुर, तहसील ऋषिकेश, जनपद देहरादून।	M180102100124640	5,62870 टन
2.	श्री रूपेश कुमार चौहान, निवासी- 2/558 तुलसी नगर पोलीशीट, पो०ओ० काठगोदाम हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।	M171227121100437	5,62870 टन
3.	श्री प्रणव रस्तोगी, निवासी- 53 आर राजपुर रोड, जनपद देहरादून।	M180212135907460	5,62870 टन

ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु उपरोक्त प्रथम चरण (ई-निविदा) के सफल निविदाकारों को कार्यालय के पत्र संख्या 008_Haridwar_Daulatpur Hajratpur Urf Budhwasheed_Bhagvanpur_25.585 ha/भूखनि0ई0/ई0निवि0सहई0नीला0/ 2017-18 दिनांक 24 फरवरी, 2018 के माध्यम से ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र जारी किया गया, जिसकी सूचना विभागीय वेबसाइट, व्यक्तिगत दूरभाष तथा ई-मेल के द्वारा सभी उपरोक्त सफल निविदाकारों को दी गयी।

4- ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु पूर्व निर्धारित तिथि 12.03.2018 सां० 05:00 बजे तक निम्नलिखित बोलीदाताओं द्वारा <https://eauction.gov.in> के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत किये गये :-

तालिका - 2

क्र०सं०	आवेदक का नाम/निवासी	यूनिक आई/बिडर आई०डी०	आवेदक की वित्तीय बोली
1.	श्री विजय सिंह, वार्ड नम्बर-2, हाट मर्ज श्यामपुर, तहसील ऋषिकेश, जनपद देहरादून।	M180102100124640	5,62870 टन
2.	श्री रूपेश कुमार चौहान, निवासी- 2/558 तुलसी नगर पोलीशीट, पो०ओ० काठगोदाम हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।	M171227121100437	5,62870 टन
3.	श्री प्रणव रस्तोगी, निवासी- 53 आर राजपुर रोड, जनपद देहरादून।	M180212135907460	5,62870 टन

उपरोक्त तालिका-2 में वर्णित सभी 03 इच्छुक बोलीदाताओं के आमंत्रण प्रपत्र तथा उसके साथ संलग्न वांछित अभिलेखों का परीक्षण/मूल्यांकन करने के उपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त तालिका-2 में वर्णित बोलीदाताओं को ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र में वर्णित तिथि एवं समय पर ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान की गयी।

5- ई नीलामी (द्वितीय चरण) में प्रतिभाग करने हेतु अनुमत किये गये निविदाकारों/बोलीदाताओं द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2018 को अपराह्न 2.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक पूर्व निर्धारित समयान्तर्गत ई-नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग किया गया, जिसके eauction.uk.gov.in software के द्वारा ऑनलाईन परिणाम निम्नानुसार प्राप्त कराये गये :-

क्र०सं०	बिडर मास्कड आई.डी.	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रू.
1.	20181240511591	14 मार्च, 2018 सायं 06.37 बजे	311857432.00
2.	20181240512236	14 मार्च, 2018 सायं 06.36 बजे	311660428.00
3.	20181240510928	14 मार्च, 2018 सायं 05.36 बजे	120369544.00

प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं की संख्या तीन प्राप्त हुई है, जिनके द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली उपरोक्त तालिका में वर्णित है।

6- कार्यालय ज्ञाप संख्या 3112/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू०खनि०ई०/2017-18, दिनांक 15 मार्च, 2018 के द्वारा ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर पर अपलोड की गई। जिसके उपरान्त ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं की मास्कड आई०डी० हटाते हुए निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुए :-

क्र० सं०	ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर में बिडर मास्कड आई.डी./नाम (विभागीय वेबसाईट द्वारा निर्गत पंजीकरण संख्या)	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रू.	उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (संशोधित) 2017 के सुसंगत नियम 27 ग उप नियम द्वितीय चरण 5 के द्वारा
1.	20181240511591 विजय इन्टरप्राइजेज (M180102100124640)	14 मार्च, 2018 सायं 06.37 बजे	311857432.00	H1
2.	20181240512236 श्री प्रवण रस्तोगी (M180212135907460)	14 मार्च, 2018 सायं 06.36 बजे	311660428.00	H2
3.	20181240510928 श्री रूपेश कुमार चौहान (M171227121100437)	14 मार्च, 2018 सायं 05.36 बजे	120369544.00	H3

दिनांक 14 मार्च, 2018 को समय अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक पूर्व निर्धारित तिथि एवं समय में उपरोक्त तीन इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा ऑन लाईन ई-नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग किया गया, ऑन लाईन ई-नीलामी समय विस्तारण के कारण अन्ततः 6:45 बजे सम्पन्न हुई, जिसमें रू० 31,18,57,432.00 (रू० इक्तीस करोड़ अठारह लाख सतावन हजार चार सौ बत्तीस मात्र) की अन्तिम बोली प्राप्त हुई है। प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं की संख्या तीन प्राप्त हुई है, जिनके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली उपरोक्त तालिका में वर्णित है।

7- कार्यालय ज्ञाप संख्या 34/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू०खनि०ई०/2017-18, दिनांक 15 मार्च, 2018 के द्वारा ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (संशोधित) 2017 के सुसंगत नियम 27 ग उप नियम द्वितीय चरण 5 के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1, H2 तथा H3 घोषित किया गया।

8- विजय इन्टरप्राइजेज (पंजीकरण संख्या-M180102100124640) जिन्हें जनपद हरिद्वार की तहसील भगवानपुर के ग्राम दौलतपुर उर्फ बुधवाशहीद, कुल क्षेत्रफल 25.585 है० उपखनिज क्षेत्र से कुल 5,62,870 टन उपखनिज निकासी हेतु कुल धनराशि रू० 31,18,57,432.00 (रू० इक्तीस करोड़ अठारह लाख सतावन हजार चार सौ बत्तीस मात्र) को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन हेतु H1 घोषित है। विजय इन्टरप्राइजेज (पंजीकरण संख्या-M180102100124640) से, उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (यथासंशोधित) 2017 के नियम 28 (क) उप नियम 1 के अनुसार अपेक्षित है है कि उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (संशोधित) 2017 के सुसंगत नियमान्तर्गत

तीन दिन के अन्तर्गत उनके द्वारा बोली गयी अधिकतम बोली उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि रू0 3,11,66,043.00 (रू0 तीन करोड़ ग्यारह लाख छियासठ हजार तैंतालीस मात्र) विभागीय लेखाशीर्षक में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कराते हुए तत्काल ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाईट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियों सहित भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून में जमा कराने के उपरान्त आपके पक्ष में सफल बोलीदाता का घोषणा पत्र जारी किया जायेगा।

यह भी सूचित किया गया कि उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (यथासंशोधित) 2017 के नियम 28 (क) उप नियम (3) के अनुसार सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत दस प्रतिशत धनराशि रू0 3,11,66,043.00 (रू0 तीन करोड़ ग्यारह लाख छियासठ हजार तैंतालीस मात्र) निर्धारित विभागीय लेखाशीर्षक में जमा करानी होगी। उक्त धनराशि जमा कराये जाने के उपरान्त आपको प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के पक्ष में आशय पत्र जारी किये जाने की अपेक्षित कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। उत्तराखण्ड उपखनिज नियमावली यथासंशोधित 2017 के सुसंगत नियमों एवं जनपद हरिद्वार की तहसील भगवानपुर के ग्राम दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद, कुल क्षेत्रफल 25.585 है0 उपखनिज क्षेत्र के ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया हेतु जारी निविदा प्रपत्र में वर्णित विभिन्न शर्तों अनुदोरों के अधीन समस्त कार्यवाही समयान्तर्गत सम्पन्न करारा सुनिश्चित करें।

9- उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (यथासंशोधित) 2017 के नियम 28 क के बिन्दु संख्या-1, 2, 3 व 4 में निम्न प्राविधान है :-

1. द्वितीय चरण की बोली समाप्त होने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गयी वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि का दस प्रतिशत (10%) "सफल बोलीदाता धनराशि" तीन दिन के अन्तर्गत विभागीय Payment gate way के माध्यम से ऑन-लाईन जमा करने के उपरान्त सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा।
2. H1 के असफल होने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए कोटिक्रम में द्वितीय ई-नीलामी बोलीदाता H2 को उसकी बोली के मूल्य का दस प्रतिशत कार्य दिवसों के अन्तर्गत जमा कराये जाने का अवसर प्रदान कराया जायेगा, उसे भी असफल होने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुए उत्तरोत्तर कोटिक्रम का अनुपालन करते हुए अन्तिम सफल बोलीदाता तक प्रक्रिया सम्पन्न कर सफल पाये गये सफल ई-नीलामी बोलीदाता की घोषणा निदेशक द्वारा की जायेगी। सभी ई-नीलामी बोलीदाताओं के असफल होने की दशा में उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए ई-नीलामी बोली की प्रक्रिया को समाप्त घोषित किया जायेगा तथा खनन पट्टे हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया सात दिन की अत्यावधि की विज्ञप्ति के उपरान्त पुनः प्रारम्भ की जायेगी।
3. सफल ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का दस प्रतिशत (10%) "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" (बिन्दु (2) के अतिरिक्त) सात कार्य दिवसों के अन्दर विभागीय पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑन-लाईन जमा करने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक अर्थात् ऐसा सफल ई-नीलामी बोलीदाता, जो अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का 10 प्रतिशत धनराशि जमा कर दिया हो, घोषित किया जायेगा।
4. प्रस्तर संख्या (1) के अनुसार घोषित उच्चतम बोलीदाता (H1) द्वारा प्रस्तर संख्या (2) व (4) में से किसी भी स्तर पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप असफल होने की दशा में बिन्दु संख्या (3) के अनुसार निर्धारित H2 व कोटिक्रमानुसार अवसर प्रदान करते हुए उपरोक्तानुसार वर्णित विधि से खनन पट्टा आवंटन की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

10- अवगत कराना है कि उक्तानुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या 34/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0/2017-18, दिनांक 15 मार्च, 2018 को विभागीय वेब साईट पर अपलोड किया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15 मार्च, 2018 को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड होने के उपरान्त H1 विजय इन्टरप्राईजेज (पंजीकरण संख्या-M180102100124640) द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (यथासंशोधित) 2017 के नियम 28 (क) उपनियम 1 के नियमान्तर्गत बोली गयी अधिकतम उच्चतम बोली रू0 31,18,57,432.00 (रू0 इक्तीस करोड़ अठारह लाख सतावन हजार चार सौ बत्तीस मात्र) का दस प्रतिशत धनराशि रू0 रू0 3,11,85,743.00 (रू0 तीन करोड़ ग्यारह लाख पिचासी हजार सात सौ तैंतालीस मात्र) विभागीय लेखाशीर्षक में ट्रेजरी चालान के माध्यम से तीन दिन (दिनांक 20.03.2018) के अन्तर्गत जमा कराते हुए तत्काल ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाईट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियों सहित कार्यालय में जमा करायी जानी चाहिए था, जो H1 विजय इन्टरप्राईजेज (पंजीकरण संख्या- M180102100124640) द्वारा कार्यालय में जमा नहीं करायी गयी है, अर्थात् असफल हैं।

11- उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (यथासंशोधित) 2017 के नियम 28 क के बिन्दु संख्या-2 के प्राविधानानुसार H1 विजय इन्टरप्राईजेज (पंजीकरण संख्या- M180102100124640) की अर्नेस्ट मनी, जो डी0डी0 संख्या 651089, रू0 98,50,225.00 (रू0 अठानबैं लाख पचास हजार दो सौ पच्चीस मात्र) द्वारा जमा की गयी है, को जब्त करते हुए, H2 श्री प्रणव रस्तोगी (पंजीकरण संख्या-M180212135907460) को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (यथासंशोधित) 2017 के नियम 28 (क) उप नियम 1 के अनुसार तीन दिन के अन्तर्गत उनके द्वारा बोली गयी

अधिकतम उच्चतम बोली धनराशि रू0 31,16,60,428.00 (रू0 इक्तीस करोड़ सोलह लाख साठ हजार चार सौ अट्ठाईस मात्र) का दस प्रतिशत धनराशि रू0 3,11,66,043.00 (रू0 तीन करोड़ ग्यारह लाख छियासठ हजार तैंतालीस मात्र) विभागीय लेखाशीर्षक में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कराते हुए तत्काल ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाईट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियाँ सहित कार्यालय में जमा कराने के उपरान्त सफल बोलीदाता का घोषणा पत्र जारी किया गया सकेगा।

H2 श्री प्रणव रस्तोगी, निवासी-53 आर राजपुर रोड, जनपद देहरादून (पंजीकरण संख्या-M180212135907460) को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (यथासंशोधित) 2017 के नियम 28 (ख) उप नियम (3) के अनुसार सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत दस प्रतिशत धनराशि रू0 3,11,66,043.00 (रू0 तीन करोड़ ग्यारह लाख छियासठ हजार तैंतालीस मात्र) विभागीय लेखाशीर्षक में जमा करनी होगी। उक्त धनराशि जमा कराये जाने के उपरान्त आपको प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक घोषित किया जायेगा। प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के पक्ष में आशय पत्र जारी किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

अतः H2 श्री प्रणव रस्तोगी, निवासी-53 आर राजपुर रोड, जनपद देहरादून (पंजीकरण संख्या-M180212135907460) से अपेक्षित है, कि उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (यथासंशोधित) 2017 के सुसंगत नियमों एवं जनपद हरिद्वार की तहसील भगवानपुर के ग्राम दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद, क्षेत्रफल 25.585 है0 उपखनिज क्षेत्र के ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया हेतु जारी निविदा प्रपत्र में वर्णित विभिन्न शर्तों अनुदेशों के अधीन समस्त कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।


निदेशक